

मं दिनांक 24-1-19 को पेश हो।

24/19 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता कोई उपाक्षिप्त नहीं है। न्यायाधीश में उपाक्षिप्त होने हेतु एक अवसर दिया जाता है। आस्थाई निवेदनार्थी आजादी पेशी 28-1-19 तक बर्खास्त जाती है। अधिवक्ता विपक्षी उपाक्षिप्त है। पत्रावली दिनांक 28-1-19 को पेश हो।

28-1-19 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारीजी निर्णयन कार्य। अन्त आदि।
मं अस्त होने से पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 30-1-19 को पेश हो।

30/19 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण स्वयं अधवा वसील प्रार्थीगण उपाक्षिप्त नहीं हुए। न्यायालय समय में बार बार आवेदन लगाए गए परन्तु कोई उपाक्षिप्त नहीं हुए। न्यायाधीश में उपाक्षिप्त होने का अवसर एक अवसर भी दिया जा चुका है। प्रार्थीगण अधवा उनके अधिवक्ता बार तारिख नहीं की जा रही है जिससे न्यायालय का आतावरण समय जाता हो रहा है। अतः यह प्रार्थना पत्र अदालत पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली में अन्त आदि कर नम्बर से कर है। निष्पत्ति कुल न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) कुममलगढ
जिला-राजसमन्त